राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 33/2023

श्रीमति अभिनेश **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
4. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा चुरू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीकानेर ब्लॉक बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 18.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री वी एल एस राजपुरोहित, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री यशंवत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल सेमा खमनोर राजसमंद में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 24.05.2005 के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–III के पद पर हुई थी। आदेश दिनांक 14.099.2012 के द्वारा उसे वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयनित किया गया। उनका कथन है कि जब अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नौरंगसर बीकानेर में कार्य कर रहा था तब अपीलार्थी को महा जनवरी 2008 का वेतन का भुगतान नहीं किया गया और जब राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंडासर बीकानेर में कार्य कर रहा था तो अपीलार्थी को माह अक्टुबर 2009 का वेतन का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका की सही जांच नहीं हो पायी। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये परन्तु उनका कोई निस्तारण नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी

विभाग को यह निर्देश दिये जावे की अपीलार्थी को माह जनवरी 2008 एवं माह अक्टुबर 2009 के वेतन का भुगतान किया जावे तथा सेवा पुस्तिका की सही नियमानुसार जांच की जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसवाड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य